लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/91/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 04.12.2017

श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतरभुजदास वैष्णव निवासी नरपत की खेडी, तह. चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 28.12.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.08.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 91/2017/(28.12)/1010 दिनांक 04.12.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.12.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 28.12.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किये।

प्रकरण संख्या 91 / 2017 (सू.अ.)
श्री शांतिलाल वैष्णव निवासी नरपत की खेडी बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रश्नात्मक सूचनाऐं चाही गई है। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

"इस संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2017 / 1589 दिनांक 06.09.2017 से अवगत कराया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2017 / 1589 दिनांक 06.09.2017 (रजिस्टर्ड) से सूचित किया जा चुका है। जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 91 / 2017(सू.अ.) /   दिनांकः–   /   /2017
प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री शांतिलाल पिता चतरभुजदास वैष्णव निवासी नरपत की खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)